न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 90 / 2021 (उदयपुर आर्डर)

1. सका पिता उदा जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. परथा उर्फ पृथ्वीराज पिता उदा जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रभू पिता उदा जी धोबी, जाति धोबी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
27.01.2009 प्रकरण संख्या 156/2007

———/———

उपस्थित :– 1– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 07–08–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमानिया में आराजी नंबर 549, 555/7 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के पिता उदा जी को उक्त आराजियात का सन् 1967 में कब्जा कर दिया था, तब से विवादित आराजियात पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा है तथा वादीगण ने काफी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विवादित भूमि उदा जी की मृत्यु के कारण वादीगण के हक में एक लिखतम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

बाबत् विक्रय कर खातेदारी अधिकार देने बाबत् निष्पादित कर अंगुष्ठ निशानी कर दी तथा कीमत 800/– दिनांक 20–01–1982 को प्राप्त किये, लेकिन प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–01–2009 से वादीगण का वाद खारिज करते हुए तहसीलदार वल्लभनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 06–12–2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। पटवारी हल्का से खाते की नकल दिनांक 24–09–2021 को प्राप्त करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2009 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील [illegible] 06–12–2021 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की मियाद 60 दिवस होकर अपील दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

27–03–2009 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील करीब 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत होने एवं अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताये जाने के कारण अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, यह स्वीकृत स्थित है की दोनों की क्रेता अपीलान्ट/वादीगण जाति से डांगी होकर सवर्ण जाति से हैं, जबकि विक्रेता रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 धोबी होकर अनुसूचित जाति के हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से प्रतिबंधित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज करते हुए तहसीलदार वल्लभनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 1993 पेज 706, आर.आर.डी. 1977 पेज 621, आर.आर.डी. 1994 पेज 773 एवं आर.आर.डी. 1997 पेज 208 प्रस्तुत की है, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उनमें वर्णित तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2009 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

सका पिता उदा जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**प्रभू पिता उदा जी धोबी, निवासी नि. वल्लभनगर, तह. वल्लभनगर जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**90 / 2021**.....**व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....वल्लभनगर..... मुकाम**.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**01**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**..मिनजानिब अपीलान्ट व.... **श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 27–01–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested